

फर्द अहकाम

कल्याण व अन्य बनाम राजस्थान सरकार

330/25

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
01.05.2025	<p>वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलव हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम भाटेड पटवार हल्का पुरुषोत्तमपुरा उर्फ दादिया भू.अभि.नि. क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थीगण की हाल आराजी कृषि भूमि खाता सख्या 194 के खसरा नम्बरान 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 व 177 कुल कित्ता 23 कुल रकबा 4.82 है० का सीमाज्ञान तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांक:भू.अ./सीमा/3058 दिनांक 21.04.2025की पालना में दिनांक 24.04.2025 को सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया।</p> <p>बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दरस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.04.2025 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।</p> <p>प्रार्थी ने प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम भाटेड पटवार हल्का पुरुषोत्तमपुरा उर्फ दादिया भू.अभि.नि. क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थीगण की हाल आराजी कृषि भूमि खाता सख्या 194 के खसरा नम्बरान 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 व 177 कुल कित्ता 23 कुल रकबा 4.82 है० का सीमाज्ञान फर्द मौका-रिपोर्ट आदेश दिनांक 24.04.2025 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।</p>	

पखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)